(26)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,

जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल – 462003

फैक्स : 0755 2552406, फोन : 0755 2552546, 2552878

क्रमांक –3322151/2014/ 267 भोपाल, दिनांक 8/02/2017

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्र. 3322225/90 दिनांक 27 जुलाई 90 द्वारा श्री एच.एस.नागराज, उपयंत्री (जन्मतिथि 03.06.46) को दिनांक 17.01.68 से अधिदर्शक (उपयंत्री) के पद पर "नो वर्क नो पे" के आधार पर नियुक्त किया गया।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समसंख्यक आदेश दिनांक 27.07.90 द्वारा दिनांक 01.01.69 की स्थिति में जारी पदक्रम सूची में श्री एन.एस.राव (जन्मतिथि 27.07.34, से.नि. दिनांक 31.07.92, प्रथम नियुक्त दिनांक 17.01.68) पदक्रम 1185 के बाद अर्थात 1185–अ पर तथा दिनांक 01.04.82 की स्थिति में प्रकाशित पदक्रम सूची में श्री एन.एस.राव स.क्र. 1225 के नीचे 1225–अ पर श्री एच.एस.नागराज, उपयंत्री को प्रतिस्थापित किया गया।

3. उपरोक्त कण्डिका–02 के अनुसार उपयंत्री पद पर वरिष्ठता निर्धारण किए जाने के पश्चात म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक 18(ए)17/90/पी/31, दिनांक 05.11.90 द्वारा श्री एच. एस.नागराज, उपयंत्री को इनसे कनिष्ठ श्री के.के.मल्होत्रा, सहायक यंत्री (नाग.) को दी गई पदोन्नति की तिथि दिनांक 29.12.84 से "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत पर सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई तथा श्री एच.एस.नागराज की वरिष्ठता 1225–अ पर सहायक यंत्री संवर्ग में उनसे कनिष्ठ श्री के.के.मल्होत्रा के ऊपर प्रतिस्थापित की गई।

4. तत्पश्चात प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, म.प्र. के आदेश क्र. 3322225/2001 दिनांक 15.10.2001 द्वारा श्री नागराज को विभागीय आदेश दिनांक 27.07.90 के द्वारा 17.01.68 से अधिदर्शक के पद पर दी गई नियुक्ति निरस्त की गई । दिनांक 01.01.1969 की स्थिति में पदक्रम सूची में निर्धारित वरिष्ठता क्रमांक 1105–अ एवं 01.04.82 की स्थिति में 1225–अ को विलोपित किया गया एवं उनकी अधिदर्शक पद पर नियुक्ति दिनांक 01.05.1971 के अनुसार मूल वरिष्ठता दिनांक 01.04.1982 की स्थिति में स.क्र. 2097 एवं 01.04.91 की स्थिति में स.क्र. 1925 पर रखी गई। जिसके फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, भोपाल, मंत्रालय के आदेश दिनांक 16.10.2001 द्वारा श्री नागराज को विभागीय आदेश दिनांक 05.11.90 द्वारा उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर दिनांक 29.12.1984 से दी गई प्रोफार्मा पदोन्नति को निरस्त किया गया।

5. श्री एच.एस. नागराज द्वारा राज्य प्रशासनिक अधिकरण इंदौर के समक्ष याचिका दायर की जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका न. 26406/2003 के रूप में परिवर्तित होकर पंजीबद्ध हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.08.2005 द्वारा प्रमुख अभियंता का आदेश दिनांक 15.10.2001 एवं जल संसाधन विभाग, म.प्र.शासन का आदेश दिनांक 16.10.2001 निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को पैरा 2 एवं 3 में दर्शित पूर्ववत स्थिति में बहाल किया गया।

6. अभिलेखों के आधार पर प्रमुख अभियंता के आदेश दिनांक 14 नवंबर, 2005 द्वारा श्री नागराज को दिनांक 30.06.2006 से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सहायक यंत्री के पद से सेवानिवृत्त किया गया। इससे स्पष्ट है कि याचिका क्रमांक 26406/2003 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2005 अंतिम था, जिसके पश्चात इस बावत् कोई न्यायालयीन निर्देश नहीं है ।

7. प्रमुख अभियंता के आदेश दिनांक 15.10.2001 द्वारा श्री नागराज को पूर्व में दी गई वरिष्ठताओं को निरस्त किया गया था जिसके आधार पर विभाग द्वारा 2001 के बाद उपयंत्रियों की जारी संशोधित पदक्रम सूचियों में श्री नागराज की वरिष्ठता निर्धारित की गई, जबकि उच्च न्यायालयीन निर्णय दिनांक 09.08.2005 द्वारा विभागीय आदेश 15.10.2001 निरस्त किया जा चुका है एवं विभाग द्वारा आदेश दिनाक 14 नवम्बर, 2005 से श्री नागराज को सहायक यंत्री पद से ही अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर ही सेवानिवृत्त किया गया है। अतः याचिका क्रमांक 26406/2003 में पारित निर्णय 09.08.2005 के प्रकाश मे श्री एच.एस. नागराज, सहायक यंत्री (सेवानिवृत्त) का नाम उपयंत्री/अधिदर्शक पद पर नियुक्ति दिनांक के पश्चात जारी हुई उपयंत्री की पदक्रम सूची निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स. क्र.	पदक्रम सूची का दिनांक	पदक्रम सूची क्र. जहां प्रतिस्थापित करना है	रिमार्क
1	01.01.69	श्री एन.एस.राव स.क्र. 1185 के तत्काल बाद अर्थात 1185-अ पर	-
2	01.04.1982	श्री एन.एस.राव स.क्र. 1225 के तत्काल बाद अर्थात 1225-अ पर	स.क्र. 2097 पर श्री एच.एस.नागराज के नाम को विलोपित किया जाता है।
3	दिनाक 1.4.91 की स्थिति (पुनरीक्षित दिनांक 2.9.2000)	श्री एच.एस. नागराज स.क्र. 1093 में प्रतिस्थापित है।	
	01.04.1991 की स्थिति में (पुनरीक्षित दि. 13.09.2007)	श्री एन.एस.राव स.क्र. 1105 (01.04.91 की स्थिति) एवं स.क्र. 1225 (01.04.1982 की स्थिति) के तत्काल बाद क्रमशः 1105-अ (01.04.91 की स्थिति) एवं 1225-अ (01.04.1982 की स्थिति) पर ।	स.क्र. 1925 (01.04.91 की स्थिति) एवं स.क्र. 2097 (01.04.1982 की स्थिति) पर श्री एच.एस.नागराज के नाम को विलोपित किया जाता है।

4	01.04.1997 की स्थिति में (पुनरीक्षित 13.09. 2007)	श्री आर.एस.चौबे स.क्र. 664 (01.04.97 की स्थिति) एवं स.क्र. 1104 (01.04.1991, पुनरीक्षित दि. 13.09.2007 की स्थिति) के तत्काल बाद क्रमशः 664–अ (01.04.97 की स्थिति) एवं 1105–अ (01.04.1991 पुनरीक्षित दि. 13.09.2007 की स्थिति) पर	स.क्र. 1328 (01.04.1997 पुनरीक्षित दिनांक 13.09.2007 की स्थिति) एवं स.क्र. 1925 (01.04.1991 पुनरीक्षित दि. 13.09.2007 की स्थिति) पर श्री एच.एस.नागराज के नाम को विलोपित किया जाता है।
5	31.10.2000 की स्थिति में (पुनरीक्षित दि. 03.11.2007)	श्री आर.एस.चौबे स.क्र.490 (31.10.2000 की स्थिति) एवं स.क्र. 664 (दि. 01.04.1997 पुनरीक्षित दि. 13.09.2007 की स्थिति) के तत्काल बाद क्रमशः 490–अ (31.10.2000 की स्थिति) एवं स.क्र. 664–अ (दि. 01.04. 197 पुनरीक्षित दि. 13.09.2007 की स्थिति)	स.क्र. 1137 (31.10.2000 पुनरीक्षित दिनांक 03.11.2007 की स्थिति) एवं स.क्र. 1328 (01.04.1997 पुनरीक्षित दि. 13.09.2007 की स्थिति) पर श्री एच.एस.नागराज के नाम को विलोपित किया जाता है।
6	01.04.2006 की स्थिति (पुनरीक्षित दि. 11.02.2008)	श्री आर.सी.अग्रवाल स.क्र. 28 (01.04.2006 पुनरीक्षित दिनांक 11.02.2008 की स्थिति) के तत्काल बाद 28–अ पर -	स.क्र. 366 (दि. 01.04.2006 पुनरीक्षित दि. 11.02.2008) पर श्री एच.एस.नागराज के नाम को विलोपित किया जाता है।

Rewm 7/2/17

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्रमांक –3322151 / 2014 / 268 भोपाल, दिनांक 8 / 02 / 2017

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश
3. संबंधित श्री
4. वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में प्रसारण हेतु ।

Rewm 7/2/17

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल